

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ०ग०)

E-mail-cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website-www.cgslsa.gov.in

F.N./599/11-16-01/2007

Bilaspur Date 26/02/2026

स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में "अन्य व्यक्ति" (Other Person) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा (अंबिकापुर,) में स्थापित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में "अन्य व्यक्ति" (Other Person) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

अर्हता:-

आवेदक को निम्नानुसार लोक सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये-

- 1- वायु, सड़क, या जल द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा, या
- 2- डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या
- 3- किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या
- 4- सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या
- 5- अस्पताल या औषधालय सेवा, या
- 6- बीमा सेवा, या
- 7- बैंकिंग एवं तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएँ, या
- 8- किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय, या
- 9- शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या
- 10- आवास या भू सम्पदा सेवा।

आयु सीमा:- अधिकतम आयु 65 वर्ष के भीतर होना चाहिए।

अन्य शर्तें:-

1. "अन्य व्यक्ति" (Other Person) की नियुक्ति, पांच वर्ष या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, तक की जावेगी।
2. मानदेय व अन्य सुविधाएँ:- Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 के अनुरूप देय होगी।
3. प्राप्त आवेदन पत्रों के स्क्रीनिंग पश्चात आगे की चयन प्रक्रिया छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा गठित तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा की जावेगी। कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची माननीय मुख्य संरक्षक महोदय/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात राज्य शासन को प्रेषित की जावेगी।
4. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा की उसका किसी भी जनोपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
5. आवेदन पत्र का प्रारूप छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाईट <https://chhattisgarh.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है. अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है।
6. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
7. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
8. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.03.2026 है, इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात (सायं 5:00 बजे के पश्चात) प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों की संख्या-

1. रायपुर 01 पद,
2. दुर्ग-02 पद,
3. सरगुजा (अंबिकापुर) -01 पद,

सदस्य सचिव
छ.ग.रा.वि.सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

आवेदन पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा में रिक्त "अन्य व्यक्ति" (Other Person) के पद पर नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है.....

(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

- अंग्रेजी में
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
 3. जन्म तिथि (शब्दों में)..... (अंको में).....
 4. गृह जिला
 5. स्थायी निवास का पता (टेलीफोन नंबर)
 6. वर्तमान पता
 - (टेलीफोन नंबर)
 7. मोबाइल नंबर
 8. ई-मेल एड्रेस
 9. कार्यालय का पता
 10. शैक्षणिक योग्यताएँ (सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):-

क्र	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत

11. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख.....
12. वर्तमान पद नाम (सेवारत आवेदक के लिए).....
13. अंतिम पद धारित (सेवा निवृत्त आवेदक के लिए).....
14. सेवा निवृत्ति की दिनांक..... (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
15. जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित/सेवा/व्यवसाय का कार्यानुभव:-

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

16. अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभव.....

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

17. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण.....
18. वर्तमान पता का प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
19. वर्तमान वार्षिक आय..... (अंतिम आयकर विवरणिका संलग्न करें)
20. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है? हाँ/नहीं
21. यदि आवेदक के विरुद्ध संपूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जाँच या प्रारंभिक जाँच की गई हो या लंबित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें। (सेवारत /सेवानिवृत्त के लिए)
22. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं-----पुत्र/पत्नी-----

घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही सत्य है, तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ, कि मेरा जनोपयोगी सेवा में किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

आर.ओ.172/जी-252606943/3